

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की बचनबद्धता सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0एन0 7-28/2014-आर0ओ0एच0क्यू0 दिनांक 15.09.2014 के साथ संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 के पैरा 3.2(IX) Special Provisions for Central Government/Central Government Undertaking के बिन्दु(ए) के अनुसार गैर वन भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त की प्रति संलग्न है।

संलग्नक-यथोपरि

प्रतिष्ठित
प्रमाणीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

प्रबन्धक (तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi